NAVBHARAT TIMES, Delhi, 18.11.2017
Page No. 13, Size:(12.74)cms X (10.91)cms.

NRI-PIO को आधार जरूरी नहीं

Amit.mishra1
@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली:** देश में आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी UIDAI ने साफ कर दिया है कि विदेशों में रहने वाले एनआरआई (नॉन रेजिडेंट इंडियन) और पीआईओ (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) को आधार बनवाने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी का कहना है कि आधार एक्ट में साफ लिखा है कि आधार सिर्फ वही बनवा सकते हैं जो देश के निवासी हों। इस परिभाषा के आधार पर ऐसा कोई भी शख्स जो देश का निवासी नहीं है उसका आधार नहीं बनाया जा सकता। अथॉरिटी ने साफ किया कि उसके सामने कई बार इस तरह के मामले आए हैं जिसमें एनआरआई और पीआईओ से आधार बनवाने के लिए कहा गया। अब अथॉरिटी ने सभी मंत्रालयों को सूचित कर दिया है कि आधार बनवाने के लिए किसी भी गैर नागरिक से न कहा जाए। साथ ही आधार अथॉरिटी ने सभी विभागों से इस बात की तस्दीक करने को भी कहा है कि खुद के एनआरआई या पीआईओ होने का दावा करने वालों का दावा नियम-कायदे बना कर सुनिश्चित करें। आम तौर पर एनआरआई और पीआईओ से पैन-आधार लिंक कराने, आधार बेस ईकेवाईसी, पेंशन के लिए आधार उपलब्ध कराने आदि के लिए कहा जाता है जो आधार नियमों के खिलाफ है।

पैन को आधार से जोड़ने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

■ **भाषा, नई दिल्ली :** सुप्रीम कोर्ट ने पैन नंबर और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह पहले ही पैन नंबर और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी आयकर कानून को वैध ठहरा चुकी है।

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सवाल किया, 'यह याचिका अब कैसे विचार योग्य है? हमने कानून के प्रावधान को बरकरार रखा है। अब निजता के अधिकार पर फैसला आ चुका है, पर आधार के बारे में कोई निर्णय नहीं है। यह याचिका कैसे दायर की गई?' कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिनय विश्वम के वकील ने बाद में यह याचिका वापस ले ली। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने और आधार संबंधी मुख्य मामले में दखल के लिए अर्जी दायर करने की छूट दी। आधार संबंधी मामले पर इसी महीने के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस बीच न्यायालय ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने की केंद्र की पहल को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।